उत्तर प्रदेश शासन
मुख्य मंत्री कार्यालय (घोषणा प्रकोष्ठ)
संख्या::2/ मुमस/ **611**/चौतीस/घोषणा/2014
लखनऊ:: दिनांक **30** दिसम्बर,2014

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव

विषय:- माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं की प्रगति की मात्र विभाग स्तर पर ही ऑनलाइन फीडिंग के संबंध में दिशा निर्देश ।

मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं की वर्तमान व्यवस्था में आपके विभाग से संबंधित की गयी घोषणाओं का विवरण आपको प्रेषित करते हुए उनके क्रियान्वयन के विषय में कृत कार्यवाही की अद्यतन आख्या निर्धारित प्रारूप पर घोषणा प्रकोष्ठ को विभाग द्वारा प्राप्त कराये जाने की अपेक्षा की जाती है। आख्या प्राप्त न होने की स्थिति में समय-समय पर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुस्मारक प्रेषित किये जाते है। निर्धारित प्रारूप पर आख्या प्राप्त होने पर इस सूचना की आन लाईन फीडिंग मुख्य मंत्री कार्यालय के घोषणा प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है तथा किसी घोषणा के पूर्ण होने पर आपके हस्ताक्षर से इसकी सूचना मुख्य मंत्री कार्यालय (घोषणा प्रकोष्ठ) को उपलब्ध कराये जाने पर उक्त घोषणा को कम्प्यूटर सूची से विलोपित किया जाता है।

मुख्य मंत्री कार्यालय के संदर्भों के अनुश्रवण एवं फीडिंग हेतु समस्त अधिकारियों को मुख्य मंत्री कार्यालय की वेबसाईट http://upcmo.up.nic.in पर लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराये गये हैं। इसके माध्यम से आप अपने विभाग के स्तर पर लम्बित संदर्भों के साथ-साथ लम्बित घोषणाओं की भी अद्यतन स्थिति देख सकते हैं।

2- शासन स्तर पर समयक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक **01-01-2015** से मा0 मुख्य मंत्री जी की लम्बित घोषणाओं की अद्यतन स्थिति की आन लाईन फीडिंग वेबसाईट **http://upcmo.up.nic.in** पर मुख्य मंत्री कार्यालय घोषणा प्रकोष्ठ के स्थान पर संबंधित विभाग द्वारा ही की जायेगी। इस हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय के संदर्भों के अनुश्रवण एवं फीडिंग हेतु प्रयोग में लाये जा रहे लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड का ही प्रयोग किया जायेगा। घोषणाओं से संबंधित सूचनाओं की ऑनलाइन फीडिंग हेतु आपको पृथक से किसी नई लॉगिन आई0डी0/पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी।

3- यदि आपके पास आपका लागिन आई.डी. एवं पासवर्ड किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो आप http://upcmo.up.nic.in पर बने लिंक 'अधिकारीगण स्वयं से संबंधित संदर्भ एवं घोषणाओं के लिए यहाँ क्लिक करें' क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाले पेज पर "Forgot your Login ID/Password" पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी श्रेणी का चयन कर पासवर्ड रिक्वेस्ट हेतु निर्धारित फार्म ऑनलाइन भर दें। आपके दिये गये मोबाइल नं0 पर अधिकतम दो कार्य दिवसों में आपका लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड एस.एम.एस. के माध्यम से पहुँच जायेगा।

4- (क) आपके विभाग से संबंधित वर्तमान में कार्यवाही के अधीन/लम्बित घोषणाओं की जानकारी हेतु सर्वप्रथम http://upcmo.up.nic.in पर बने लिंक *'अधिकारीगण स्वयं से संबंधित संदर्भ एवं घोषणाओं के लिए यहाँ क्लिक करें'* पर क्लिक करें। प्रदर्शित होने वाले पेज पर अपना लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड एन्टर करने पर आप के समक्ष मुख्य मंत्री कार्यालय के लम्बित संदर्भ एवं घोषणाओं का सारांश प्रदर्शित होगा। अपूर्ण घोषणाओं की संख्या पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर आपके विभाग से संबंधित लम्बित/अपूर्ण घोषणाओं का विवरण घोषणावार डिस्प्ले होगा। इनमें से किसी भी घोषणा की अद्यावधिक स्थिति फीड करने हेतु संबंधित घोषणा में प्रदर्शित हाने वाले लिंक *''संबंधित अधिकारी/विभाग घोषणा से संबंधित सूचनायें/अद्यावधिक प्रगति की प्रवष्टि करने हेतु यहां क्लिक करें''* पर क्लिक करें। इसके बाद डिस्प्ले होने वाले पेज पर वांछित सूचनायें फीड कर दें।

---------2

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) प्रत्येक घोषणा के लिए शासन के एक विभागीय अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो) को नामित कर दिया जाए तथा उनका नाम, पद नाम, मोबाइल नं0 तथा ईमेल आई.डी. की फीडिंग अनिवार्य रूप से http://upcmo.up.nic.in पर कर दी जाए।

(ग) यदि घोषणा के अनुपालन में किसी कार्यदायी संस्था की आवश्यकता नहीं है तो इस तथ्य की प्रविष्टि कर दी जाए। घोषणा के अनुपालन में निर्माण कार्य प्रस्तावित होने की स्थिति में अथवा अन्यथा नामित की गयी कार्यदायी संस्था का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। यदि कार्यदायी संस्था अब तक नामित नहीं की जा सकी है तो इसके नामित किये जाने की संभावित तिथि का उल्लेख किया जाए। कार्यदायी संस्था नामित होने की दशा में फील्ड स्तरीय प्रगति हेतु एक नोडल अधिकारी (जो अधिशासी अभियन्ता से अनिम्न स्तर का हो) को भी नामित कर दिया जाए एवं उनका नाम, पद नाम, मोबाइल नं0 तथा ईमेल आई.डी. की भी फीडिंग अनिवार्य रूप से http://upcmo.up.nic.in पर कर दी जाए।

(घ) प्रत्येक घोषणा से संबंधित विवरण जैसे आगणन लागत, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि, घोषणा के पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम (यदि लागू हो), को आपके स्तर पर संबंधित बिन्दु के समक्ष अंकित किया जाना अनिवार्य है। अतः इन विवरणों को प्राथमिकता पर फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि पूर्व से ही कोई विवरण भरा हुआ है तो आप उसे अपनी आवश्यकतानुसार संशोधित कर सकते है। घोषणा पूर्ण तभी मानी जायेगी जब उसका कार्य पूर्ण होकर जनता को इसका लाभ मिलने लगेगा। अतः इसी आधार पर घोषणा के पूर्ण होने की तिथि अंकित की जाए।

(ड.) http://upcmo.up.nic.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में विभाग के स्तर पर प्रत्येक माह में कम से कम एक बार घोषणा की प्रगति (अद्यावधिक स्थिति) को अनिवार्यतः फीड कराया जाये तथा फीडिंग की दिनांक तक की प्रगति के फोटोग्राफ्स को पी.डी.एफ. में अपलोड किया जाये। कार्य की प्रकृति के अनुसार एक या एक से अधिक फोटोग्राफ्स को अधिकतम 01 एम0बी0 की एक पी0डी0एफ0 फाइल बनाकर अपलोड किया जा सकता है।

(च) जिन घोषणाओं में निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है उनमें यदि फीडिंग के दिनांक तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तो उस दिनांक से पूर्व एक माह में निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु किये गये प्रयासों से संबंधित सुसंगत अभिलेखों (यथा नोटशीट, पत्राचार, आदेश की प्रति आदि) को फोटोग्राफ्स के स्थान पर पी0डी0एफ0 में अपलोड किया जाए। इसी प्रकार जिन घोषणाओं में निर्माण कार्य निहित नहीं है, उनमें घोषणा की प्रगति/पूर्ति से संबंधित सुसंगत अभिलेखों (यथा नोटशीट, पत्राचार, आदेश की प्रति आदि) को फोटोग्राफ्स के स्थान पर पी0डी0एफ0 में अपलोड किया जाए। इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखा जाए कि अपलोड की जाने वाली सूचना/फोटोग्राफ्स अद्यतन हो एवं पूर्व में अपलोड न किये गये हो। प्रत्येक माह में कम से कम एक बार घोषणा की प्रगति (अद्यावधिक स्थिति) तथा निर्माण कार्य की फोटोग्राफ्स को अपलोड किया जाना है, अतः जब भी इस संबंध में कोई सूचना/फोटोग्राफ्स/अभिलेख अपलोड किये जाए तो वह पूर्व में अंकित सूचना के बाद किये गये प्रयासों तथा प्रगति से संबंधित होने चाहिए। सूचनाओं का बार-बार रिपीट किया जाना गंभीरता से लिया जाएगा।

5- शासन के विभागीय नोडल अधिकारी को वेबसाइट पर घोषणा से संबंधित सूचनाओं को फीड कराने हेतु तथा समय-समय पर परिस्थितिनुसार सूचनाओं में संशोधन किये जाने हेतु उत्तरदायी बनाया जाए।

6- <u>वर्तमान में लम्बित समस्त घोषणाओं से संबंधित नोडल अधिकारियों का विवरण तथा बिंदु संख्या **4** (घ) में उल्लिखित अनिवार्य रूप से फीड की जाने वाली सूचनाओं को व्यक्तिगत अवधान देकर विलम्बतम **15.01.2015** तक वेबसाइट पर फीड करा दिया जाए।</u>

7- सचनाओं/फोटोग्राफ्स को अपलोड करने में अथवा ऑनलाइन फीडिंग में किसी भी अन्य समस्या के निराकरण हेतु श्री आर0 के0 बजाज, विशेष कार्याधिकारी, मुख्य मंत्री कार्यालय कम्प्यूटर सेल से किसी भी कार्यदिवस में दूरभाष संख्या- **0522-2239236** पर संपर्क किया जा सकता है।

----------3

http://shasanadesh.up.nic.in

8- माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा भविष्य में की जाने वाली नवीन घोषणाओं से संबंधित सूचनाओं की ऑनलाइन फीडिंग पर भी यही व्यवस्था लागू होगी।

9- लम्बित घोषणाओं के पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का वेबसाइट पर स्पष्ट उल्लेख किये जाने के दृष्टिगत इस टाइम लाइन की नियमित समीक्षा तथा शासन के नोडल अधिकारी से अपेक्षित कार्यवाही के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा अपने स्तर से भी करने का कष्ट करें। समय से सूचनाओं को फीड न किये जाने अथवा त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक सूचना तथा फोटोग्राफ अपलोड किये जाने पर समस्त संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

10- घोषणा के पूर्ण होने पर विभाग द्वारा इससे संबंधित तथ्यों की ऑनलाइन फीडिंग की जायेगी एवं एक पत्र के माध्यम से मुख्य मंत्री कार्यालय (घोषणा प्रकोष्ठ) को भी सूचित किया जाए। घोषणा प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षण कर पत्रावली को मुख्य मंत्री कार्यालय में घोषणा से संबंधित विभाग को देख रहे संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा

(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री

संख्या: मुमस/ 611 (1)/चौतीस/घोषणा/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन ।
2- समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन ।
3- मुख्य मंत्री कार्यालय (घोषणा प्रकोष्ठ)

(जिन्नूरैन अहमद खॉ)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in